



डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बद्धन/4155/2017 दिनांक:12.10.17

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

ओमवीर सिंह सियाराम महाविद्यालय नगला धर्म, अरौंव, फिरोजाबाद

विषय:- ओमवीर सिंह सियाराम महाविद्यालय नगला धर्म, अरौंव, फिरोजाबाद को बी०ए० (द्विवर्षीय) शिक्षासंकाय स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्बद्धता के विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सम्बद्धन/1740(112) दिनांक 15/05/2015 के द्वारा ओमवीर सिंह सियाराम महाविद्यालय नगला धर्म, अरौंव, फिरोजाबाद को शिक्षा संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 01.07.2015 से आगामी दो वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सत्र 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार ओमवीर सिंह सियाराम महाविद्यालय नगला धर्म, अरौंव, फिरोजाबाद को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत एन०सी०टी०ई० के तदक्रम में एक वर्ष दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2019 तक सम्बद्धता का विस्तारण उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र-बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो निम्नवत् है विस्तारण प्रदान किया जाता है:-

1. शिक्षक पूर्ण अनुमोदित नहीं है। 2. शिक्षको का वेतन मुगतान प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 3. अग्निशमन का पत्र संलग्न नहीं है।

यह सम्बद्धता दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2019 बी०ए० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष के लिए सम्बद्धता विस्तारण निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रमादी होगी।

- (1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कमियों के साथ-साथ दिनांक 30.06.2018 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हो।
- (2) महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 81859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित करेगा।
- (3) महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में कमियों को तीन माह में पूर्ण करली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (4) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (5) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (6) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुरांगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुरांगत शासनादेशों का पालन करेगा।
- (7) महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (8) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटस्थित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।
- (9) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा तथा संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध मानकों के आधार पर निर्धारित सीट से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगा तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- (10) संस्था परिसर को रैनिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 210 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगी।
- (11) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजुकेशन (ए०आई०एस०एच०ई०) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी०सी०एफ० -11 पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, ओमवीर सिंह सियाराम महाविद्यालय नगला धर्म, अरौंव, फिरोजाबाद
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव